## *प्रेस नोट* *07/11/2024*

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आयुद्ध अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹2,500 के अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम जनपद मऊ द्वारा दिनांक 06-11-2024 को मु0अ0सं0 822/2015 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त कपूर साहनी पुत्र चंद्रभान साहनी निवासी बैरियाडीह थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹2500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

**आनलाइन ठगी गई रकम (1,80,000/.रू) पुनः खाते में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा वापस कराया–**

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के श्री महेश सिंह अत्रि तथा क्षेत्राधिकारी अपराध महोदय के निकट पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये आनलाइन ठगी के शिकार पीडिता नेहा पुत्री अमेरिका निवासी नयी बस्ती भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ का कुल रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदिका द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।

**घटनाक्रमः-**

साइबर फ्राडर ने आवेदिका को भ्रम पैदाकर अपने आप को रिस्तेदार बताया व इमरजेन्सी समस्या को बताते हुए बैंक खाता में 1,80,000/- रू जामा करा लिया घटना का खुलासा हुआ जब रिस्तेदार को फोन किया तब फ्राड कि जानकारी हुई जिसपर आवेदिका द्वारा तत्काल साइबर पोर्टल पर शिकायत किया गया।

साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है

किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तत्काल निम्नलिखित तरिकों के माध्यम से सूचना दें।

1. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930/112 पर कॉल करें।
2. www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। तथा जनपद थाना व साइबर क्राइम सेल से तत्काल सम्पर्क करें।

**बरामदकर्ता-**

निरीक्षक हरेन्द्र कुमार यादव मय टीम, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद-मऊ ।

**चोरी की 03 अदद मोटर मोनोब्लाक व 02 अदद घण्टी के साथ 05 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.11.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 381/2024 धारा 331(4), 305, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस से सम्बन्धित तीन अदद चोरी की मोटर मोनोब्लाक व मु0अ0सं0 262/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस से सम्बन्धित दो अदद घण्टी बरामद कर 05 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।